

**माननीय प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की मझोला योजना-4,  
मुरादाबाद में (जी+3) टाईप फ्लैट्स के आन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक  
दिशा-निर्देश**

मा10 प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत परिषद की मझोला योजना-4, मुरादाबाद में (जी+3) टाईप फ्लैट्स के आन-लाइन पंजीकरण (**Online Registration**) में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन किया जा सकता है :-

**आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)**

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Pradhanmantri Awas Yojan-Online Registration" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उसपर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, पैन नम्बर, निवास-पता, इच्छित सम्पत्ति, पंजीकरण शुल्क के भुगतान का प्रकार, स्कैन्ड फोटोग्राफ/हस्ताक्षर एवं आरक्षण श्रेणी आदि विवरण आन-लाइन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा **ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।**

**पंजीकरण धनराशि का भुगतान :-**

- उपरोक्तानुसार आन-लाइन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट-आउट में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-
  - ✓ Visit website [www.upavp.in](http://www.upavp.in) & click on link " Pradhanmantri Awas Yojna-Online Registration "
  - ✓ Click on concerning scheme's webpage link.
  - ✓ Click on 'Apply Online' link & provide basic details and property.
  - ✓ Please verify the registration details and click 'Confirm' button.
  - ✓ Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as **Netbanking/Debit/Credit Card.**
  - ✓ If applicant selected '**e-challan**' payment mode, then 'e-challan' will be generated.
  - ✓ Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest **HDFC branch.**
- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को Transaction ID प्रदान की जायेगी।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय होना चाहिए।)

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि के भुगतान उपरान्त प्राप्त हुई Transaction ID का उपयोग करते हुए आवेदन सम्बन्धी अन्य जानकारियाँ दर्ज/अपलोड की जायेगी।
- आन-लाईन पंजीकरण द्वारा आवेदन से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियाँ (फोटो आई0डी0 प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी घोषणा-पत्र, ई-चालान की प्रति आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

मझोला योजना-4, भाग-2, मुरादाबाद के पंजीकरण हेतु पत्राचार का पता-

"सम्पत्ति प्रबंधक

सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय-मझोला योजना-4, भाग-2, मुरादाबाद

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

10/135-139, मझोला योजना-4, भाग-2,

मुरादाबाद (उ0 प्र0)-244001"

-----